झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (शिकायत)–सरायकेला–खरसावाँ / PDS–24 / 2022 - 607

प्रेषक,

हिमांशु शेखर चौधरी
अध्यक्ष
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:– 22.08.2023

विषय:– सरायकेला–खरसावाँ जिला में PMGKAY के तहत् माह दिसम्बर, 2022 का खाद्यान्न व्यपगत होने संबंधी मामले पर कार्रवाई के संबंध में।

प्रसंग:– आयोग का पत्रांक–360 दिनांक–25.05.2023, विभागीय पत्र ज्ञापांक–1871 दिनांक–14.06.2023 एवं प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड का पत्रांक–2634 दिनांक–14.07.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माह दिसम्बर, 2022 का NFSA एवं PMGKAY का खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराने से संबंधित परिवाद पत्र परिवादी श्री रमेश हाँसदा द्वारा आयोग को उपलब्ध कराया गया था। उक्त मामले में सुनवाई के क्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ द्वारा सूचित किया गया था कि दिसम्बर, 2022 के PMGKAY का 20,418.98 क्वीन्टल चावल व्ययगत हो गया था। यह भी कि आवश्यक 29759.82 क्वीन्टल चावल के स्थान पर मात्र 9340.83 क्वीन्टल चावल FCI से उपलब्ध हो सका। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ द्वारा उक्त से संबंधित उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन की प्रति आयोग के प्रासंगिक पत्र द्वारा उच्च स्तरीय जांच कराकर जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई की अनुशंसा के साथ विभाग को प्रेषित की गई थी।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्र ज्ञापांक–1871 दिनांक–14.06.2023 द्वारा इस मामले की जांच कर विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय को पत्र प्रेषित करते हुए इसकी सूचना आयोग को दी गई। निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय के पत्रांक–1210 दिनांक–04.07.2023 द्वारा उक्त मामले में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक निगम लिमिटेड, राँची को पत्र प्रेषित किया गया तथा इसकी प्रति आयोग को दी गई। उक्त के क्रम में प्रबंध निदेशक, JSFC के पत्रांक–2634 दिनांक–13.07.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उक्त मामले से संबंधित प्रतिवेदन निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय को भेजते हुए इसकी प्रति आयोग को उपलब्ध कराई गई है।

प्रबंध निदेशक, JSFC के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि माह दिसम्बर, 2022 का PMGKAY के तहत् आवंटित खाद्यान्न शत्–प्रतिशत उठाव सरायकेला जिला के साथ–साथ अन्य जिलों–राँची, जमशेदपुर, चाईबासा, लातेहार, गिरिडीह, हाजारीबाग, चतरा, धनबाद, बोकारो एवं देवघर में भी निर्धारित तिथि तक नहीं किया जा सका, जिसका एक मात्र कारण संबंधित जिले के भारतीय खाद्य निगम के डिपो में खाद्यान्न की अनुपलब्धता रही। यह भी कि JSFC द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु भारतीय

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\Vinod Sir.docx438

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

खाद्य निगम से अनुरोध भी किया गया किन्तु स्थिति यथावत रही, जिस कारण विषयांकित योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का शत्–प्रतिशत उठाव निर्धारित तिथि तक नहीं किया जा सका।

स्पष्ट है कि FCI के कई जिलों के डिपो में खाद्यान्न की अनुलपब्धता के कारण बड़ी मात्रा में खाद्यान्न व्यपगत हुआ एवं इस कारण बड़ी संख्या में लाभुक माह दिसम्बर, 2022 का PMGKAY खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित रह गये हैं। इतने जिलों के लाभुकों को PMGKAY के तहत् राशन नहीं मिल पाना चिन्ताजनक है।

अतः अनुरोध है कि उक्त मामले में दोषियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

22/02/2023

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\Vinod Sir.docx439